न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 115/2021 बउनवानी अमरजीत सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार पुत्र श्री श्रवण सिंह निवासी दौलतपुरा तहसील खण्डार

GCMS No-2021/317

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
29.12.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 20.10.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. पटवार हल्का दौलतपुरा के नाम क्यारदा खुर्द स्थित चरागाह भूमि के ख0न0 440 पर सन् 2021 पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में अतिक्रमियों के नाम व उन पर की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः रीडर/21/2031 दिनांक 10.12.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 20.10.2021 के बिन्दु संख्या 1 पर चाही सूचना सृजनात्मक/रचनात्मक/प्रश्नात्मक होने के कारण अपीलान्ट का आवेदन पत्र अस्वीकार कर जरिये पत्रांक राजस्व/सूकाअ/21/1085 दिनांक 29.10.2021 से प्रार्थी को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। अपीलान्ट बिमार होने के कारण उसकी ओर से उसके पुत्र सिमरनजीत सिंह ने न्यायालय मे उपस्थित होकर आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को ग्राम क्यारदा खुर्द के ख0 440 गै.मु. चरागाह के अतिक्रमियो के संबंध में सम्वत् 2076 की पुरानी सूचना दी गयी है। जबकि अपीलान्ट द्वारा सम्वत् 2078 की सूचना चाही गयी है। अतः चाही गयी सूचना उपलब्ध करवाने बाबत निवेदन किया गया । पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनंक 20.10.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 पर चाही गयी सूचना यद्यपि प्रश्नात्मक है किन्तु चाही गयी सूचना सामान्य प्रकृति की होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना उचित समझता हूँ। अतः लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को निर्देशित किया जाता है कि क्यारदा खुर्द स्थित ख0न0 440 किस्म गै0मु0 चरागाह पर सम्वत् 2[illegible] किये गये अतिक्रमियों के नाम एवं उन पर की गयी कार्यवाही की सूचना अपीलान्ट को [illegible] उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अ[illegible] जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद [illegible] अभिलेख की जावे। आदे[illegible] न्यायालय मे सुनवाया गया। (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 18:02:55 IST
Reason: SelfAttested